23/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष उप. है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी.प्र.सं. पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश O.1 R.10 (2) हेतु दिनांक 24.12.2020 को पेश हो।

24/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्ष उपस्थित। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O.1 R.10(2) अनुसार वादग्रस्त भूमि के क्रेता भीमराज S/o रंगलाल जैन निवासी सीहेड़ हाल नि. मुम्बई को पक्षकार बनाया जाता है। क्रेता को पक्षकार बनाये जाने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र O.1 R.10(2) स्वीकार किया जाता है व भीमराज को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु दिनांक 18.1.2021 को पेश हो।

18/1/2021 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21.01.2021 को पेश हो।

21/01/2021 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी ~~निर्वाचन कार्य~~ अवकाश में ~~छुट्टी~~ होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 22.02.2021 को पेश हो।

22/02/2021 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगवाई गई परन्तु प्रार्थी व उसके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी - अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय ~~खुले~~ न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़, जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द